न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा
फर्द अहकाम

श्याम सुन्दर .... बनाम .... मदनलाल, सरकार

किस्म मुकदमा - 223/Kota   मिसल नं0 2[illegible]/103   सन् 202[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
02.07.2021	अपील श्री घनश्याम नागर Ad द्वारा पेश की गई । सरिस्ता की रिपोर्ट का अवलोकन किया। केविएट प्रार्थना पत्र श्री हेमेन्द्र आसावत द्वारा पेश किया गया है। बहस स्थगन पत्र पर सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी अपीलान्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 1/1/2013 के खिलाफ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का पद रिक्त होने व महामारी के कारण सुनवाई नहीं हो पायी है। अपीलान्ट की आराजी सेटलमेन्ट विभाग ने कम की है। यह रकवा रेंस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किया गया है, फिर भी परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। लोकडाउन में निर्णय पारित किया गया है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। केविएटकर्ता के अभिभाषक द्वारा कथन किया गया है कि 136 एल आर के प्रार्थना पत्र में त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट की आराजी कम की गयी थी। इसके खिलाफ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील पेश की गयी जो आंशिक रूप से स्वीकार की गयी। प्रकरण में पुनः सुनवाई के उपरांत परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 1.1.2013 से 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। पूर्व निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट की आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गयी थी, जिसके लिए 144 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र की अपील का श्रवणाधिकार भी इस न्यायालय को नहीं है। अपीलान्ट की अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में लंबित अपील में कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने रिवेटल में कथन किया है कि 144 सीपीसी के तहत पारित निर्णय धारा 2(2) सीपीसी के अनुसार डिक्री की श्रेणी में आता है। अतः अपील का श्रवणाधिकार इसी न्यायालय को है। हमने बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट दिनांक 01.01.2013 को खारिज किया गया है, जिसकी अपील जैसा कि विद्वान अभिभाषक	

अपीलाट ने उपस्थित किया है अति0 संभागीय आयुक्त के न्यायालय मे जैसेकार है। पूर्व मे 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र को परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2001 को स्वीकार किया गया था, जिसकी अपीलना में आराजी अपीलांट के खाते मे दर्ज की गई थी। अति0 संभागीय आयुक्त से प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 01.01.2013 को 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय ने खारिज किया है। जिसके उपरान्त रेस्पो0 ने यह 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष 136 एल आर एक्ट की कार्यवाई मे पारित आदेश के परिपेक्ष्य मे पेश किया गया है। धारा 136 एलआर एक्ट के तहत पारित किसी भी आदेश की अपील इस न्यायालय मे धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेवल नही है। इस न्यायालय का श्रवणाधिकार धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश अपीलों का ही है। इन तथ्यों के आधार पर धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार इस अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही है।

अतः अपील सक्षम न्यायालय मे पेश करने के लिए लौटाई जाती है। अपील दर्ज होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(भगवती जेठवानी)
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा
2/7/21